भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1245

28.07.2025 को उत्तर के लिए

एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

1245. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए निगरानी प्रणाली प्रभावी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके राज्य-वार कारण क्या हैं;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(घ) एल्युमीनियम लेपित सामग्रियों के उपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे सख्त उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख): प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन को मजबूत करने और अभिज्ञात एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) सभी छत्तीस राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों ने अभिज्ञात एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को उपयोग से बाहर करने और प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मुख्य सचिव/प्रशासक की अध्यक्षता में विशेष कार्यबल का गठन किया है। अभिज्ञात एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को उपयोग से बाहर करने और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु समन्वित प्रयास करने हेतु मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यबल भी गठित किया गया है।

(ii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों, प्रमुख एकल उपयोग वाले प्लास्टिक विक्रेताओं/उपयोगकर्ताओं और प्लास्टिक के कच्चे माल के निर्माताओं को भी अभिज्ञात एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्रतिबंधित एसयूपी वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए भी कहा गया है।

(iii) देश में अभिज्ञात एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की प्रभावी निगरानी के लिए, निम्नलिखित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कार्यरत हैं: (क) व्यापक कार्य योजना कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय डैशबोर्ड, (ख) एकल उपयोग प्लास्टिक को उपयोग करने संबंधी से बाहर अनुपालन के लिए सीपीसीबी निगरानी मॉड्यूल, और (ग) सीपीसीबी शिकायत निवारण ऐप।

(iv) राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों से कहा गया है कि वे अभिज्ञात एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं और एक सौ बीस माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के थैलों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए नियमित प्रवर्तन अभियान चलाएं, जिसमें फल और सब्जी मंडियां, थोक बाजार, स्थानीय बाजार, फूल विक्रेता, प्लास्टिक के थैलों बनाने वाली इकाइयां, आदि शामिल हों। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इन विचलनों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें प्रतिबंधित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त करना और शास्ति लगाना शामिल है। एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण और एसयूपी अनुपालन निगरानी पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, कुल 8,61,335 निरीक्षण किए गए हैं और 1976 टन प्रतिबंधित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुएँ जब्त की गई हैं और कुल 19.8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

(ग) सीपीसीबी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों/ संघ राज्य-क्षेत्रों ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अतिरिक्त, प्लास्टिक के थैलों और/या अभिज्ञात एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगाने से संबंधित विनियम लागू करने हेतु अधिसूचनाएँ/आदेश जारी किए हैं। विवरण संलग्न है।

(घ) प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त धातुयुक्त परतों या एल्युमीनियम फॉयल का उपयोग करके बहुस्तरीय प्लास्टिक पैकेजिंग को दिनांक 16 फरवरी 2022 को अधिसूचित प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पर दिशानिर्देशों के अंतर्गत कवर किया गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (पीआईबीओ) ने उत्पाद की उपयोग अवधि की समाप्ति तक पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए बाजार में उनके द्वारा पेश की गई प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए उत्पादक उत्तरदायित्व को बढ़ा दिया है। पीआईबीओ ने 2023-24 से बाज़ार में उपलब्ध प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए ईपीआर का 100% लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें धातुकृत परतों या एल्युमीनियम फ़ॉइल से बनी प्लास्टिक पैकेजिंग शामिल है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को स्वयं या किसी नामित एजेंसी के माध्यम से, जैसा कि उपयुक्त समझाा जाए,

निरीक्षण और आवधिक लेखापरीक्षा के माध्यम से उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-मालिकों के अनुपालन का सत्यापन करने का अधिदेश दिया गया है। ईपीआर दिशानिर्देशों के अनुसार, पीआईबीओ द्वारा ईपीआर लक्ष्यों को पूरा न करने पर, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के आधार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी।

(ङ) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक सामग्री से बने पाउच पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया है, जिसके तहत 1 जुलाई, 2022 से कम उपयोगिता और अधिक कूड़ा फैलाने वाली अभिज्ञात एकल उपयोग वाले प्लास्टिक (एसयूपी) के वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध कर दिया गया है। इस अधिसूचना में 31 दिसंबर, 2022 से एक सौ बीस माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के थैलों के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। 30 सितंबर 2021 से 60 ग्राम प्रति वर्गमीटर (जीएसएम) से कम के बिना-बुने हुए प्लास्टिक के थैलों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

प्लास्टिक के थैलों/वस्तुओं के विनिर्माण, उपयोग, विक्रय, आयात और प्रबंधन को प्रतिबंधित करने संबंधी अधिसूचना

(एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित)

क्र.	**राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध**	**कार्यकारी आदेश की तारीख और संख्या**	अभ्युक्ति
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	पूर्ण प्रतिबंध	दिनांक 02.08.2010 अधिसूचना संख्या :202	प्लास्टिक के थैलों के विनिर्माण, भण्डारण, आयात, वितरण, परिवहन, पुर्नचक्रण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।
2.	आंध्र प्रदेश		उपलब्ध नहीं	ताड़ीपत्री, विजयवाड़ा, तिरुपति और बोब्बिली जैसे कुछ शहरी स्थानीय निकायों ने प्लास्टिक के थैलों पर, चाहे उनकी मोटाई कुछ भी हो, प्रतिबंध लगा दिया है। सभी स्थानीय निकायों ने अपने स्तर पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।
3.	अरुणाचल प्रदेश	आंशिक प्रतिबंध	दिनांक: 16.07.2019 अधिसूचना संख्या: एफ़ओआर\.129/ई(क)/2019/1271 3-60	50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक के विनिर्माण, भंडारण, स्टॉक, बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध।
4.	असम		अधिसूचना उपलब्ध नहीं है	
5.	बिहार	पूर्ण प्रतिबंध	दिनांक: 24.10.2018 अधिसूचना संख्या 943	प्लास्टिक के थैलों [उनकी मोटाई चाहे कितनी हो] के विनिर्माण, भण्डारण, आयात, वितरण, परिवहन, पुनर्चक्रण,

			(शहरी) दिनांक 11.12.2018 अधिसूचना 1043	बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध
6.	चंडीगढ़	पूर्ण प्रतिबंध	अधिसूचना संख्या ईडी/2019/1648 दिनांक 27.09.2019	प्लास्टिक की वस्तुओं उत्पादों के विनिर्माण, भंडारण, आयात, बिक्री, उपयोग, परिवहन, और निपटान पर पूर्ण प्रतिबंध।
7.	छत्तीसगढ़	पूर्ण प्रतिबंध	अधिसूचना संख्या 5-7/18/2011 दिनांक 24.12.2014 (राजपत्र) दिनांक: 27-09-2017 अधिसूचना संख्या:क्रमांक 05-88/2014/32	पॉलिथीन / प्लास्टिक के थैलों के विनिर्माण, भण्डारण, आयात, परिवहन, पुनर्चक्रण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध। इसके अलावा, प्रतिबंधित अल्प-उपयोग अवधि वाला पीवीसी और क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक के लिए भी।
8.	दमन दीव और दादरा नगर हवेली	पूर्ण प्रतिबंध	अधिसूचना संख्या पीसीसी/डीएमएन/प्लास्टिक बैग/12-13/473 दिनांक 24.01.2014	प्लास्टिक के सभी प्रकार के थैलों के उपयोग, बिक्री / भंडारण का निषेध।
9.	दिल्ली		सूचना उपलब्ध नहीं है	पीडब्लूएम नियमों के अतिरिक्त, कोई कार्यकारी आदेश जारी नहीं किया गया है।
10.	गोवा	पूर्ण प्रतिबंध	गोवा में गैर जैव-निम्नीकरणीय कचरा संशोधन विधेयक दिनांक: 08.08.2019	सरकार ने प्लास्टिक (थैलों, कप, कांटे, पेपर प्लेट, चम्मच) और अन्य गैर-जैवनिम्नीकरणीय वस्तुओं के विनिर्माण, भंडारण, आयात, परिवहन, पुनर्चक्रण, बिक्री और

				उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
11.	गुजरात		अधिसूचना संख्या: VI,I(14/पर्यावारण-10- 2008-2100-ई दिनांक 25 जून, 2011	
12.	हरियाणा	पूर्ण प्रतिबंध	दिनांक: 20.08.2013	प्लास्टिक के थैलों के विनिर्माण, भण्डारण, आयात, परिवहन, पुनर्चक्रण , बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।
13.	हिमाचल प्रदेश	पूर्ण प्रतिबंध		थैलों (आकार को ध्यान में रखे बिना), पॉलीथिन, गैर- जैव- निम्नीकरणीय सामग्री, डिस्पोजेबल प्लास्टिक के कपों, प्लेटों और गिलासों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।
14.	जम्मू और कश्मीर	आंशिक प्रतिबंध	अधिसूचना: 2017 का एसआरओ 45 दिनांक-03.01.2017	50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथीन के थैलों पर आंशिक प्रतिबंध
15.	झारखंड	पूर्ण प्रतिबंध	अधिसूचना संख्या 3/प्रया प्रादु- 52/2007- 3900 दिनांक 15.09.2017	पूरे राज्य में प्लास्टिक के थैलों के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।
16.	कर्नाटक	पूर्ण प्रतिबंध	दिनांक 11.03.2016 अधिसूचना संख्या: एफ़ईई 17 ईपीसी 2012, बेंगलुरु	राज्य सरकार ने पूरे राज्य में प्लास्टिक बैनरों, ध्वजपटों, के थैलों (प्लास्टिक और कम्पोस्ट योग्य), कपों, क्लिंग फिल्मों, फ्लेक्स, झंडों, प्लेटों, चम्मचों और प्लास्टिक या थर्मोकोल और माईक्रोबीडों से बने शीटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।

17.	केरल	पूर्ण प्रतिबंध	अधिसूचना संख्या: जी.ओ. (एमएस) संख्या 6/2019 पर्यावरण दिनांक 27-11-2019 जी.ओ. (मैसर्स) संख्या 2/2020/ईएनवीटी दिनांक 27-01-2020 जी.ओ. संख्या जी.ओ. (एमएस) संख्या 4/2020 पर्यावरण दिनांक 16-02-2020	एकल उपयोग प्लास्टिक और प्लास्टिक के थैलों (प्लास्टिक और कम्पोस्टेबल) पर पूर्ण प्रतिबंध
18.	लक्षद्वीप	पूर्ण प्रतिबंध	दिनांक : 25.01.2019 अधिसूचना संख्या: एफ.सं.66/33/2019	एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध में शामिल हैं: सभी मोटाई के प्लास्टिक के थैलों, प्लास्टिक लेपित के थैलों, प्लास्टिक झंडे, लपेटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक शीट/फिल्म, डाइनिंग टेबल कवर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक शीट, थर्मोकोल कप और प्लेट, प्लास्टिक लेपित पेपर कप और प्लेट, प्लास्टिक चाय के कप, प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक चाय के कप, पानी के पाउच/ पैकेट/ पीईटी प्लास्टिक की पानी की बोतलें,स्ट्रॉ,
19.	मध्य प्रदेश	पूर्ण प्रतिबंध	अधिसूचना : एफ़ 5-2-2015-18-5 दिनांक :24.05.2017	प्लास्टिक के थैलों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।

20.	महाराष्ट्र	पूर्ण प्रतिबंध	प्लास्टिक संख्या-2018/सी.आर.24/टीसी-4 अधिसूचना, दिनांक 23.3.2018 और संशोधन दिनांक 11.4.2018, 30.6.2018 और 14.06.2019	कुछ प्लास्टिक उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध जैसे i) हैंडल सहित या बिना हैंडल वाले प्लास्टिक बैग, चाहे उनका आकार और मोटाई कुछ भी हो, एकल उपयोग वाली डिस्पोजेबल वस्तुएं जैसे कप, प्लेट, स्ट्रॉ, चम्मच आदि, महाराष्ट्र प्लास्टिक और थर्मोकोल उत्पादों के माध्यम से नॉनवॉवन पॉलीप्रोपाइलीन बैग (विनिर्माण, उपयोग, बिक्री, परिवहन, हैंडलिंग और भंडारण)
21.	मणिपुर	पूर्ण प्रतिबंध	12.9.2017 अधिसूचना सं. 56/38/99 फॉर एंड ईएनवीटी	प्लास्टिक के थैलों के उपयोग, भण्डारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध।
22.	मेघालय	आंशिक प्रतिबंध	16.02.2017 अधिसूचना सं. एमपीसीबी/टीबी-144ख/2016-2017/79	50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के थैलों के उपयोग और बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है और सार्वजनिक सूचना जारी की गई है।
23.	मिजोरम	आंशिक प्रतिबंध	आइजोल नगर निगम द्वारा 01.08.2019 से प्रभावी	50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के थैलों पर पूर्ण प्रतिबंध
24.	नगालैंड	आंशिक प्रतिबंध	दिनांक: 29 नवंबर, 2018 अधिसूचना संख्या: यूडीडी/7- सामान्य/07-पीडबल्यूएम\/2018	50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध,

25.	ओडिशा	आंशिक प्रतिबंध	अधिसूचना आदेश संख्या 18441, दिनांक 30.09.2019	राज्य की सभी नगरपालिका सीमाओं में किसी भी आकार और मोटाई के पॉलिथीन के थैलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ओडिशा सरकार इसके अलावा, उक्त आदेश में राज्य को (किसी भी वस्तु, वस्तु या खाद्य पदार्थों के भंडारण, परिवहन, वितरण या पैकेजिंग के लिए 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली पॉलिथीन शीट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है)
26.	पुदुचेरी	पूर्ण प्रतिबंध	उपलब्ध नहीं।	02.08.2019 से एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध।
27.	पंजाब	पूर्ण प्रतिबंध	अधिसूचना संख्या 5/18/2016-4lg4/692717/1 दिनांक 18.02.2016 एस.ओ.438/पी.ए. 9/1994/एस30/2016 दिनांक 29.03.2016	प्लास्टिक के थैलों के विनिर्माण, भण्डारण, वितरण, पुनर्चक्रण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।
28.	राजस्थान	पूर्ण प्रतिबंध	अधिसूचना दिनांक: 21.07.2010	प्लास्टिक के थैलों के उपयोग, भण्डारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध।
29.	सिक्किम	पूर्ण प्रतिबंध	अधिसूचना संख्या: जीओएस/यूडी एयूआर एचडी97-98/6(85) दिनांक: 04-06-1998	प्लास्टिक के थैलों के उपयोग, भण्डारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध।

30.	तमिलनाडु	पूर्ण प्रतिबंध	दिनांक: 25.06.2018 अधिसूचना संख्या: जी.ओ. (एमएस) संख्या 84 दिनांक 25.06.2018	"एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक" अर्थात् प्लास्टिक के थैलों, झंडे, भोजन लपेटने के लिए प्रयुक्त शीटों, तीलियों, चाय के कपों, गिलासों, पानी के पैकेटों और पाउचों के विनिर्माण, बिक्री, उपयोग, भंडारण, परिवहन और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध।
31.	तेलंगाना	प्रतिबंधित नहीं		प्रतिबंधित नहीं है।
32.	त्रिपुरा	पूर्ण प्रतिबंध	अधिसूचना संख्या:एफ.बी(30)/डीएसटीई /ईएनवी/भाग-II//1679-97 दिनांक 10.03.2015	प्लास्टिक के थैलों (पॉलीप्रोपाइलीन, नॉन-वोवन फैब्रिक सहित) की बिक्री, उपयोग, भंडारण, परिवहन और आयात पर पूर्ण प्रतिबंध पत्रिकाओं और निमंत्रण/ग्रीटिंग कार्ड सहित किसी भी पुस्तक को पैक करने या कवर वाले के लिए प्लास्टिक ट्यूब।
33.	उत्तर प्रदेश	पूर्ण प्रतिबंध	दिनांक: 15-07-2018 अधिसूचना संख्या 1056/9-7-18-29(लखनऊ)/18	50 माइक्रोन मोटाई वाले प्लास्टिक के थैलों और प्लास्टिक या थर्मोकोल से बने कप, कटोरी, कंटेनर, गिलास, गिलास और प्लेट आदि का विनिर्माण, बिक्री, उपयोग, भंडारण, परिवहन और आयात
34.	उत्तराखंड	पूर्ण प्रतिबंध	दिनांक: 25.01.2017 अधिसूचना संख्या 88/x-3-17-13(11)/2001	प्लास्टिक या थर्मोकोल से बने प्लास्टिक के थैलों, कप, कटोरी, कंटेनर, गिलास, गिलास और प्लेट आदि का विनिर्माण, बिक्री, उपयोग, भंडारण, परिवहन और आयात।

35.	पश्चिम बंगाल		उपलब्ध नहीं।	पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों और कुछ ऐतिहासिक धरोहर वाले एवं पर्यटन स्थलों में प्लास्टिक के थैलों के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध

*****